



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-17082026-275523
CG-UP-E-17082026-275523

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4294]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 13, 2026/श्रावण 22, 1948

No. 4294]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 13, 2026/SHRAVAN 22, 1948

रेल मंत्रालय

[उत्तर मध्य रेलवे (निर्माण विभाग)]

अधिसूचना

प्रयागराज, 07 अगस्त, 2026

का.आ. 4472(अ).— केन्द्रीय सरकार, ने रेल अधिनियम 1989 (1989 का 24) एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात्, उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 'ए' के खण्ड—(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, उत्तरप्रदेश राज्य के सोनभद्र जिले में “चुनार —चोपन दोहरीकरण परियोजना हेतु” विशेष रेल परियोजना के अन्तर्गत लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर उक्त अधिनियम की धारा 20—घ की उप-धारा (1) के अधीन उपरोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

प्रत्येक ऐसा आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, मिर्जापुर (सिंचाई), जिला—मिर्जापुर, (उप्र.) को लिखित में किया जाया जायेगा और उसके आधार उपवर्णित किये जायेगें और सक्षम अधिकारी आक्षेपकर्ता को या तो व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा तथा आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जाँच, यदि कोई हो करने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20—घ की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का नक्शा एवं अन्य ब्यौरा उपलब्ध है। इच्छुक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी, विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, मिर्जापुर (सिंचाई), जिला— मिर्जापुर, (उप्र.) कार्यालय में उनका निरीक्षण कर सकता है-

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में चुनार-चोपन दोहरीकरण रेल परियोजना के लिए सोनभद्र जिले में आने वाली अवसंरचना सहित या रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण					
क्र.सं.	ग्राम का नाम	तहसील का नाम	खसरा सं० / गाटा सं०	अर्जित क्षेत्रफल (हे० मे)	भूमि की प्रकृति
1	2	3	4	5	6
1	मझिगवां	राबर्टसगंज	44	0.0130	नवीन परती
			45	0.0020	आबादी
			42	0.0330	आबादी
			46	0.1140	नवीन परती
			योग	0.1620	
2.	एलाही	राबर्टसगंज	3	0.0520	निजी/कृषि
			4	0.1012	निजी/कृषि
			5	0.0080	निजी/कृषि
			15	0.0238	निजी/कृषि
			16	0.0256	नाली/शासकीय
			17	0.0089	निजी/कृषि
			योग	0.2195	
3.	खैराही	राबर्टसगंज	284	0.0664	निजी/कृषि
			292	0.0126	निजी/कृषि
			योग	0.0790	
			महायोग	0.4605	

[फा. सं. 1-G/CAR-CPU/Land Acquisition/01]

अजीत सिंह यादव, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS

[North Central Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

Prayagraj, the 7th August, 2026

S.O. 4472(E). — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) Railway (amendment) Act, 2008 (11 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the schedule annexed hereto is required for the purpose of execution, maintenance, management and operation of the

Special Railway Project namely **Chunar Chopan Doubling Project** in District **Sonbhadra** in the State of Uttar Pradesh hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority namely, **Special Land Acquisition Officer (Irrigation), Magistrate office / Mizapur. District- Mirzapur, Uttar Pradesh** in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 20-D of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquire, with or without structure for the special railway project, namely Chunar to Chopan Doubling Railway Project in Sonbhadra district in the state of Uttar Pradesh.					
S.N.	VILLAGE NAME	TEHSIL NAME	KHASARA NAME/GATA NO.	ACQUIRED AREA (IN HECT.)	Nature of land
1	2	3	4	5	6
1	MAJHIGAWA	ROBERTSGANJ	44	0.0130	Govt.
			45	0.0020	Govt.
			42	0.0330	Govt.
			46	0.1140	Govt.
			Total	0.1620	
2.	AILAHI	ROBERTSGANJ	3	0.0520	Pvt.
			4	0.1012	Pvt.
			5	0.0080	Pvt.
			15	0.0238	Pvt.
			16	0.0256	Govt.
			17	0.0089	Pvt.
			Total	0.2195	
3.	KHAIRAH	ROBERTSGANJ	284	0.0664	Pvt.
			292	0.0126	Pvt.
			Total	0.0790	
			Grand Total	0.4605	

[F. No. 1-G/CAR-CPU/Land Acquisition/01]

AJIT SINGH YADAV, Chief Administrative Officer (Construction)